तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील
15/6/18	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित। जो जवाब पेश करना नहीं चाहते हैं। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 को तर्क करने बाबत प्रा० पत्र पेश किया। जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के तर्क किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 4.6.18 को पेश हो। SDO K	
21.6.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी [illegible] पेश करना नहीं चाहते। [illegible] वादी बंद की जाती है। बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। दावा वादी डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज जारी किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड [illegible] में भिजवाया जावे। SDO K	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/12/2018

1. दीनदयाल पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी गहलावता
   तहसील कठूमर जिला अलवर

——— वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र मूलाराम जाति मीना निवासी गहलावता
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर
3. प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा खेरली (तर्क)

——— प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय

दिनांक 21.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 809, 818, 1033, 1035, 1036, 1193, 1217, 1227, 1252 किता 9 रकवा 4.01 हे वाके ग्राम गहलावता व खसरा नम्बर 1265 रकवा 0.25 हे. ग्राम कंचनपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 आपस में पिता पुत्र है वादी प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल का पुत्र है तथा आराजी मुतनाजा वादी की पैत्रिक सम्पत्ति है। उपरोक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के बाबा मूलाराम से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 का एकमात्र पुत्र वादी ही है इस कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी होने से विवादित आराजी में वादी को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी पर अपने 1/2 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस कारण वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। वादी विवादित आराजी में अपने 1/2 हिस्सा की आराजी अपने नाम घोषित कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से विवादित आराजी में अपने 1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषण कराने वावत कहा तो उसने मना कर दिया। हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रतिवादी वादी को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से से वेदखल करना चाहता है तथा दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल करना चाहता है। अतः वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की अपने नाम घोषणा कराने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ चाही है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने अपना ईकवाल जवाव पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादी सं0 1 का नाम वादी के प्रार्थना पत्र पर तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 2 पैरोकार हाजिर अदालत है जो जवाव दावा पेश करना नहीं चाहते। जवाव बन्द किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2072 सक 2075 वाके ग्राम गहलावता नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम कंवनपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने स्वंय का शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किया है।

वहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान अपने दावा के तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी वादी के पिताजी प्रतिवादी सं0 1 मांगीलाल के नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता व मूला वादी का दादा है। प्रतिवादी सं0 1 को विवादित आराजी वादी के दादा मूला से विरासत में प्राप्त हुई है कानूनन दादा की आराजी में उसके पोत्रों का जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो जाते है। वादी का विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में 1/2 हिस्सा है जिस पर वो काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादी को प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली के तथ्यों व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से वाद वादी सावित है। अतः दावा वादी डिक्री कर दिया जावे। हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 60 व नकल जमाबन्दी संवत् 2028 के अवलोकन से विवादित आराजी वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मूला के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजी वादी के बाबा व प्रतिवादी सं0 1 के पिता मूला से विरासत में मिलना सावित है। कानूनन दादा की आराजी में उसके पोत्रों का जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाते है। प्रतिवादी सं0 1 ने ईकवाल जवाव पेश कर विवादित आराजी अपने पिता मूला से विरासत में प्राप्त होना व वादी का 1/2 हिस्से पर कब्जा होना स्वीकार किया है। पत्रावली के तथ्यों से वाद वादी सावित है। अतः वादी विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में से 1/2 हिस्सा की आराजी घोषित कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादी सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 809, 818, 1033, 1035, 1036, 1193, 1217, 1227, 1252 किता 9 रकवा 4.01 हे वाके ग्राम गहलावता व खसरा नम्बर 1265 रकवा 0.25 हे. ग्राम कंचनपुरा से प्रतिवादी सं0 1 का नाम 1/2 हिस्से तक कलमज़न कर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 21.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/12/2018

1. दीनदयाल पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी गहलावता
   तहसील कठूमर जिला अलवर

——— वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र मूलाराम जाति मीना निवासी गहलावता
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर
3. प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा खेरली (तर्क)

—— प्रतिवादीगण

दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 809, 818, 1033, 1035, 1036, 1193, 1217, 1227, 1252 किता 9 रकवा 4.01 हे वाके ग्राम गहलावता व खसरा नम्बर 1265 रकवा 0.25 हे. ग्राम कंचनपुरा से प्रतिवादी सं0 1 का नाम 1/2 हिस्से तक कलमजन कर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 21.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner